

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक—  
द्वितीय / यू०पी० / 1149 / आर०ओ०सी० / 2020 / एफ०सी०,  
दिनांक—13-01-2012 में उल्लिखित बिन्दु सं०—02 व 03 से  
सम्बन्धित सूचना

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा उत्तरौला-फैजाबाद-इलाहाबाद रोड (एस०एच०-9) के कि०मी० नं०-53 (चैनेज सं०-52.249) के मध्य दांयी पटरी पर, गाटा सं०-1299, ग्राम-बहादुरा, तहसील-तरबगंज, जिला-गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु पहुँच मार्ग निर्माण में कुल 3.8 वृक्ष बाधक है। प्रस्तावित स्थल का छायाचित्र निम्नानुसार है:-



प्रभागीय निदेशक  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वन प्रभाग गोण्डा भाग  
गोण्डा (उ०प्र०)

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
गोण्डा

क्षेत्रीय पत्र अधिकारी  
रंज

6/4/21  
प्रमाणित हस्ताक्षर (कंती)  
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०  
गोण्डा रिटेल टैरीटरी